

ज़िला कलेक्टर की भूमिका के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता

प्रलिस के लिये:

भारतीय कानूनी प्रणाली, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 15वीं रिपोर्ट, पंचायती राज, अखिल भारतीय सेवाएँ।

मेन्स के लिये:

ज़िला कलेक्टरों की भूमिका और ज़िम्मेदारी के पुनर्निर्धारण की आवश्यकता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी (दिल्ली स्थिति स्वतंत्र थकि-टैंक) ने अपनी पुस्तक "फ़ॉर्म रूल बाई लॉ टू द रूल ऑफ लॉ" में [ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट](#) की भूमिका में सुधार संबंधी सुझाव दिया।

ज़िला कलेक्टर/ज़िला मजिस्ट्रेट का क्षेत्राधिकार:

- भूमि और राजस्व प्रशासन का प्रमुख।
- ज़िला स्तर पर कार्यकारी प्रमुख के रूप में कानून और व्यवस्था, सुरक्षा और पुलिस संबंधी मामले लाइसेंसिंग और नियामक प्राधिकरण (जैसे शस्त्र अधिनियम), चुनाव के संचालन, [आपदा प्रबंधन](#), [सार्वजनिक सेवा वितरण](#) का समग्र पर्यवेक्षण करने के साथ और मुख्य सूचना एवं शकियत नविवरण अधिकारी।
- ज़िलाधिकारी आपातकाल के समय में ज़िले में शस्त्र बलों को तैनात व मार्गदर्शन करते हैं।
- इसके अंतर्गत ज़िले में शस्त्र, वसिफोटक, सनिमेटोग्राफी अधिनियम आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के लाइसेंस जारी करता है।
- कई राज्यों में, कलेक्टर ही ज़िले में जेलों और कशिश गृहों के उचित प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार समग्र पर्यवेक्षी प्राधिकरण है।
- उन्हें विशेष सुरक्षा/अपराध वरिधी कानूनों के तहत हरिसत आदेश/हरिसत वारंट जारी करने का अधिकार भी है।

ज़िला कलेक्टर की भूमिका के पुनर्गठन की आवश्यकता:

- आधुनिक संविधान होने के बावजूद [भारतीय कानूनी प्रणाली](#) में अभी भी [औपनिवेशिक सत्ता](#) के अवशेष हैं।
- ज़िला कलेक्टर के पदों का नाम देश में अलग-अलग स्थानों पर भिन्न होता है जो इसकी भूमिका और ज़िम्मेदारियों से संबंधित भ्रम पैदा करता है।
 - ज़िला कलेक्टर का पद [अखिल भारतीय सेवाओं](#) के दायरे में आता है इसलिये नाम पूरे भारत में एक समान होना चाहिये।
- विभिन्न नामकरण [ब्रिटिश-प्रशासित भारत](#) के विभिन्न क्षेत्रों में विधि प्रशासनिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- [स्थानीय शासी निकायों](#) को शक्तियों और ज़िम्मेदारियों के हस्तांतरण की कमी शासन को अस्थिर करने में नहित हति का संकेत है।
- संविधान के [अनुच्छेद 50](#) में कहा गया है कि "राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायापालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये राज्य कदम उठाएगा।"

नषिकर्ष:

- द्वितीय [प्रशासनिक सुधार आयोग](#) (Second Administrative Reforms Commission- ARC) की 15वीं रिपोर्ट में ज़िला प्रशासन को शामिल किया गया था।
- पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों की संविधानिक रूप से अनविर्य स्थापना के बाद ज़िला प्रशासन के कार्य का पुनर्मूल्यांकन और पुनः परिभाषित करना अब महत्त्वपूर्ण हो गया है।
 - हालाँकि इस बात पर बल दिया गया है कि कई राज्यों में [पंचायती राज संस्थानों](#) (जिन्हें "पीआरआई" के रूप में भी जाना जाता है) की शुरुआत ने ज़िला कलेक्टरों की भूमिका को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने तक सीमित कर दिया है।
 - स्थानीय स्तर पर नरिणय लेने के हस्तांतरण के रास्ते में आने वाली कर्षि भी बाधा को दूर करने के लिये **15वीं ARC रिपोर्ट** द्वारा इस व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इन सबके लिये ज़िला स्तर पर प्रशासनिक तंत्र के संपूर्ण पुनर्गठन की आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/need-to-restructure-the-district-collectors-role>

